नये किसान कानून से सबसे ज्यादा फ़ायदा रिलायंस रिटेल को होगा!

शिशिर सोनी

पिंक पेपर्स यानी आर्थिक अखबारों की आज बड़ी खबर है – केकेआर जैसी ग्लोबल निवेशक कंपनी रिलायंस रिटेल में 5 हज़ार 500 करोड़ रुपये लगायेगी।

आखिर क्यों? जिस देश की जीडीपी माईनस 23.9 फीसदी पर लुढ़क गई हो उस देश की बड़े निजी सेक्टर में भारी भरकम निवेश केकेआर जैसी कंपनी क्यों कर रही है? क्योंकि निवेशक कंपनी देख रही है कि देश की जीडीपी भले ही रसातल में जा रही हो रिलायंस, यानी अंबानी की बैलेंस सीट कुलांचे भर रही है। कोरोना काल में जब सब धंधे चौपट हैं, देश में अडानी, अंबानी बमबम हैं। चलिए कोई तो है जो आपदा को अवसर बना रहा है। वरना आमजन तो आपदा में पहले विपदा झेल रहा है। कई परिवारों में तो धंधा चौपट होने, नौकरी छूटने के अपार दुखों के बीच कोरोना से मौत का मातम पसरा है।

इस बात को समझना होगा कि केकेआर कंपनी ने कृषि विधेयक पास होने के बाद रिलायंस रिटेल में पैसे लगाए हैं। उन्हें पता है, नये विधेयक के कानून का शक्ल अख्तियार करने के बाद सबसे ज्यादा फ़ायदा रिलायंस रिटेल को होगा। देश भर में फैले रिलायंस की दुकानों से कृषि उपज बिकेगी। बड़े बड़े गोदामों में उपज के भंडारण की कानूनी सुविधा मिल जाने के बाद किसानो से उनकी उपज सस्ते दर पर खरीद कर भंडारण किया जायेगा। फिर ऊँची कीमत पर हम आपको बेचा जायेगा। देश का लुटा पिटा मध्यम वर्ग सौ रुपया किलो आलू, प्याज खरीदते हुए आँसू बहायेगा। नये कानून में से आलू, प्याज, तेल, दालें समेत रोजमर्रा के अन्य खाद्य पदार्थों को एसेंशियल कोमोडिटी एक्ट से बाहर कर दिया गया है। सो, अब जितना चाहे निजी कंपनियां खरीदें। जितना चाहें, भंडारण करें। बाजार में कृत्रिम कमी पैदा करें। फिर मुँह मांगे दामों पर खाद्य पदार्थ बेचें। केकेआर ये खेल समझ रहा है, सो मोटी कमाई की आशा लिए निवेश कर रहा है।

बड़े किसान, जिनके पास भंडारण की सुविधा है। जो पहली उपज बाजार में बेचने के बजाए उसे स्टोर करने में सक्षम हैं।

दूसरी उपज पर पहली को बिना बेचे पूंजी लगाने में सक्षम हैं इस खेल का हिस्सा होंगे। छोटे किसान उपज औने पौने दाम में बेच कर फिर दूसरी उपज के लिए खेती में लगाने को विवश होगा। इसलिए रेट को भी कानूनी रूप देकर उसको बेंचमार्क बनाना जरूरी है ताकि उससे कम में कोई निजी कंपनी उपज न खरीद सके। हालांकि इस स्थिति में भी खाद्य वस्तुओं के दाम तेजी से बढ़ेंगे, मध्यम वर्ग की थाली, प्लेट में सिमटेगी। गरीब बाप बाप करेगा।

मुझे समझ नहीं आता कि जब बिहार में पहले से ही कृषि मंडी को खत्म किया गया। और लगभग ऐसी ही व्यवस्था लागू की गई है तो वहाँ के मॉडल में किसानो को कितना लाभ हुआ, इसकी गणना केंद्र ने क्यों नहीं की? आखिर बिहार में भी जदयू के साथ मिलकर भाजपा सरकार चला आ रही है। वो कह सकती थी कि देखो बिहार के किसानो को कितने खुशहाल हैं? मगर वो ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि बिहार में किसानो की दुर्गति है। हालत ये है कि देश भर में सबसे कम आमदनी बिहार के किसानो को होती है। सरकार के आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि किसानी से राष्ट्रीय औसत आय 64 हज़ार 262 रुपया सालाना है। बिहार के किसानो की आय साल में 44 हज़ार 172 रुपया ही है। जब कि पंजाब में किसान साल में 2 लाख 17 हज़ार 459 रुपया अर्जित कर रहा है। हरियाणा का किसान एक लाख 74 हज़ार रुपया कमा रहा है।

बिहार में अगर महीने में किसान महज 3 हज़ार 538 रुपया किसी तरह उपार्जित कर पा रहा है तो पश्चिम बंगाल में 3980, छत्तीसगढ़ में 5177, ओडिशा में 4976, यूपी में 4923, महाराष्ट्र में 7986 रुपया किसान कमाता है। किसानी से आय में खेती, मजदूरी, पशुपालन और इससे संबंधित अन्य आय भी शामिल हैं। शुद्ध किसानी से आय सोचिये कितनी कम होगी!

इससे आप अंदाजा लगाइये कि बिना मंडी और बिना बिचौलिए के, जहाँ चाहें वहाँ बेच के, बिहार के किसान जब फटेहाली में हैं, राष्ट्रीय औसत से भी लगभग आधा कम किसानी से कमाते हैं तो देश भर में ये व्यवस्था लागू करने से किसानो को कैसे लाभ मिलेगा? किसानो को लाभ तभी मिलेगा जब एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए!

किसानो का मामला निपट भी गया तो भी खाद्य वस्तुओं के अनाप शनाप जमा करने की कानूनी छूट देकर क्या सरकार जमाख़ोरी को बढावा नहीं दे रही? क्या इससे खाद्य वस्तुओं की कीमतें नहीं बढ़ेंगी? ऐसा हुआ तो सरकार का नियंत्रण कैसे होगा? बड़े अनुत्तरित सवाल हैं।

अब आया है 'हायर एंड फायर' का नियम.....

मोदी सरकार का असली चेहरा जो कोरोना काल में बेनकाब हुआ है...

जी हाँ, कृषि कानूनों के बाद एक ओर खतरनाक कानून को मंगलवार को संसद की स्वीकृति मिल गयी है और इस कानून के बारे में जानकर वो नौकरीपेशा अंधभक्त जो हाथ उठाकर 'हेल हिटलर' की तरह 'हेल मोदी' चिल्लाते हुए घूमते है उन्हें बड़ी खुशी होगी। वैसे हो सकता है बहुत जल्द ही वह खुद इस कानून का शिकार बन जाए.....

राज्यसभा में भी श्रम कानून से जुड़े तीन अहम विधेयक पास हो गए हैं. इनमें सामाजिक सुरक्षा बिल 2020, आजीविका सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता बिल 2020 और औद्योगिक संबंध संहिता बिल 2020 शामिल हैं. सरकार ने इन्हें श्रम सुधारों की दिशा में बड़ा कदम बताया है लेकिन असलियत में ये श्रम सुधार नियोक्ताओं के लिए कर्मचारियों की छंटनी को आसान बनाने के लिए है।

श्रम कानून में बदलाव का सबसे ज्यादा असर कंपनी में काम कर रहे कर्मचारियों पर होगा. दरअसल अब नियोक्ता को कर्मचारियों की कभी भी छंटनी करने का अधिकार मिल गया है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि अब चार में से तीन कंपनियों को ये अधिकार मिल जाएगा कि वो कभी भी अपनी कंपनी से किसी भी कर्मचारी को एक मिनट में निकाल सकती है।

इस नए तथाकथित सुधार से कंपनी, फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों को सजा देने, निकालने, प्रमोशन में पक्षपात जैसे नियम पूरी तरह से कंपनी के हाथों में आ गए हैं।

अब तक नियोक्ता कंपनी कानून के तहत किसी भी कर्मचारी को एकदम से नहीं निकाल सकते थे इसके लिए कंपनियों को किसी भी कर्मचारी को अचानक निकालने से पहले उसे सूचना देनी पड़ती है और साथ ही कुछ महीनों की सैलरी देनी पड़ती है ताकि वो दूसरी नौकरी का इंतजाम कर सके..... लेकिन अब इसकी जरूरत खत्म कर दी गयी है.....

नए कानून के तहत 300 से ज्यादा कर्मचारियों वाली कंपनी जल्द ही सरकार से पूर्व मंजूरी लिए बिना अपने स्टाफ की जब चाहे छंटनी कर सकेगी। पहले यह छोटी यूनिट जिसमें 100 लोग प्रतिदिन काम करते हो उनके लिए ही सम्भव था लेकिन अब मोदी जी की कृपा से बड़ी बड़ी कंपनियां / प्रतिष्ठान या कारखाने इस सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। बहुत जल्द ही शिफ्ट के घण्टे 8 से 12 भी कर दिए जाएंगे, यूपी जैसे राज्यों में तो शिफ्ट के घण्टे बढ़ाए जाने को अनुमति भी दे दी गयी है।

ईश्वर न करे कोई अंधभक्त भी कभी ऐसी परिस्थितियों को झेले लेकिन यदि उनके जीवन मे कभी ऐसी परिस्थिति आए तो उस क्षण को जरूर याद करे जब उन्होंने कमल निशान पर बटन दबाया था और मशीन बोली थी... पी ईईईईईईईईईई....

-गिरीश मालवीय

गतांक की चीर-फ़ाड़

भारत में बेरोजगारी 45 सालों से सबसे ज्यादा

डॉ. जुगल किशोर गुप्ता

कृषि सुधार के नाम पर लाए गए कृषि बिल के विरोध में किसान, मंडी के व्यापारी तथा मज़दूरों द्वारा सड़कों पर किए जा रहे भारी विरोध-प्रदर्शन संसद में कड़े प्रतिरोध के मद्दे नज़र मोदी सरकार ने अपने मंत्रियों की ड्यूटी तीनों बिल को जायज ठहराने के लिये लगाने पर स्थानीय केन्द्रीय मंत्री कृष्णपाल गूजर ने कहा कि किसान अपनी फ़सल कहीं भी जाकर बेच सकते हैं, जबकि किसान व व्यापारी इसी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विरुद्ध सड़कों पर हैं। उनका कहना है कि इससे मंडी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, बड़ी कम्पनियां उनकी फसल खरीदकर बाजार में मनमाने रेट पर बेचेंगी तथा उन्हें फ़सल का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) नहीं मिलेगा, जिसका 'किसानों को अपना झूठ बताने उतरे मोदी के मंत्री-खेती विरोधी तीन अध्यादेशों के खिलाफ़ आंदोलन और तेज हुआ' में खुलासा किया गया है।

मज़दूर मोर्चा के 20-26 सितम्बर 2020 के अंक में समसामयिक मुद्दों पर अनेक महत्वपूर्ण समाचार व लेख प्रकाशित हुए हैं। मोदी सरकार के विवादित नागरिक संशोधन अधिनियम (सीएए) तथा प्रस्तावित एनआरसी व एनपीआर के विरुद्ध आंदोलन में सक्रिय राजनीतिक, बुद्धिजीवी, वकील, सोशल एक्टिविस्ट और छात्र एक्टिविस्ट को दिल्ली पुलिस द्वारा फरवरी के उत्तर-पूर्वी दिल्ली में साम्प्रदायिक दंगो के साजिशकर्ता बताकर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए)तथा अनलॉफुल एक्टिविटिज़ प्रिवेंशन कानून (यूएपीए) के तहत गिरफ़्तार करके जेलों में डाला जा रहा है। जबकि उन दंगों को वास्तव में भड़काने वाले आरोपित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता जैसे कपिल मिश्रा, प्रवेश शर्मा, अनुराग ठाकुर के विरुद्ध शिकायत दर्ज करना तो दूर उनसे पूछताछ तक नहीं की गई।

सुपरकॉप जुलियस रिवेरो समेत अन्य कई रिटायर्ड आईपीएस अधिकारियों तथा जेएनयू के एक्टिविस्ट छात्र उमर खालिद के वीडियो द्वारा दंगों में राजनीतिक कारणों से दिल्ली पुलिस द्वारा पक्षपातपूर्ण जांच करने पर सवाल उठाए गए। दिल्ली पुलिस आयुक्त एसएनश्रीवास्तव द्वारा पुलिस की पूर्ण निष्पक्षता के झूठे दावे तथा उमर द्वारा दिल्ली पुलिस और खुफ़िया एजेंसियों की साजिश को 'दिल्ली पुलिस कमिश्नर को फ़रवरी दंगों का यह सच भी बताना चाहिए' तथा 'जब उमर खालिद को अंडरग्राउंड होने से इन्कार कर दिया' में बेनकाब किया गया है।

ध्यान रहे कि तीनों कृषि बिल में से किसी भी बिल में मोदी सरकार ने एमएसपी का प्रावधान नहीं रखा है, इसलिये प्रधानमंत्री मोदी के एमएसपी के आश्वासन का भी जुमला बनने की आशंका है। हरियाणा के पीपली में किसानों पर हुए लाठीचार्ज का सोशल मीडिया में मुद्दा बनने के बाद भाजपा की सहयोगी पार्टी जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) ने किसानों पर हुए लाठीचार्ज के लिये माफ़ी मांगी, जिसका 'जननायक जनता पार्टी ने किसानों से माफ़ी मांगी...जेजेपी पर दबाव बढा, कर सकती है अध्यादेशों का विरोध' में विवेचन किया गया है। दूसरी ओर गृहमंत्री अनिल विज लाठीचार्ज की घटना से इन्कार कर चुके हैं।

भाजपा के प्रमुख सहयोगी अकाली दल से केंद्रीय मंत्री हरसिमरत बादल द्वारा मंत्री मंडल से इस्तीफ़ा देने के बाद सोशल मीडिया तथा प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस द्वारा उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा मंत्रीमंडल से त्यागपत्र देने के लिये दबाव बनाया जा रहा है। जेजेपी के दो विधायक और एक निर्दलीय विधायक किसान आंदोलन का समर्थन देने पहुंच गए और जेजेपी के एक विधायक ने तो इस्तीफ़े तक की पेशकश कर डाली।

भारत में बेरोजगारी 45 सालों से सबसे ज्यादा होने और मोदी जी का प्रतिवर्ष दो करोड़ रोजगार देने का वादा पूरा न होने के बावजूद भाजपा द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का 70 वां जन्मदिवस 'राष्ट्रीय रोजगार दिवस' के रूप में मनाने के जवाब में देश के युवा बेरोजगारों, युवा संगठनों व राजनीतिक दलों ने इसे 'राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस' व 'जुमला दिवस' के रूप में मनाया, जिसकी 'पीएम मोदी का जन्मदिन बना जुमला दिवस, रोजगार की मांग बुलंद-बेरोजगार का फूटा गुस्सा, जगह-जगह लाठी चार्ज और गिरफ़्तारियां में समीक्षा की गई है।

देश भर में बेरोजगारों, छात्रों व युवाओं ने सड़कों पर प्रदर्शन किया और मशाल जुलूस भी निकाले तथा बनारस में बीएचयू के छात्रों ने अपनी डिग्रियों की प्रतियां भी जलाई। कई स्थानों पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया और उनकी गिरफ़्तारियां भी की। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कई स्थानों पर ठेले लगाकर और पकौड़े तलकर बेरोजगारी के खिलाफ़ अपनी नाराजगी जताई।

वास्तव में जिन्होंने दिल्ली दंगे करवाए, जिनके वीडियो व सबूत मौजूद हैं, वे खुलेआम और भी जहर उगलते फ़िर रहे हैं, लेकिन जो लोग ऐसे दंगाइयों का विरोध करते हैं उन्हें जेलों में डाला जा रहा है। विदित हो कि लॉकडाउन के दौरान राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) व भाजपा के शीर्ष नेताओं के बीच दिल्ली में हुई बैठक में लॉकडाउन की वापसी के बाद सीएए के विरुद्ध पुनः आंदोलन खड़ा होने की स्थिति को लेकर विचार-विमर्श किया गया था।